न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 127/2021

(GCMS 2021/207)(आरटीआई नं. 212272520190696)

बंशीलाल पुत्र श्री हेतराम बिश्नोई गांव भागसर पोस्ट ऑफिस –प्रेमपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, पिन– 335803

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

12.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बंशीलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2021 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बंशीलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2021 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ़ से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. गाव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार, (तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 77/4 में किन–किन विभागों, निजी खातेदारों की भूमि है, खसरा 77/4 का निजी खातेदारों, राजकीय भूमि की भौगोलिक स्थिति (लोकेशन) को [illegible] नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
2. खसरा नम्बर 77/4 में [illegible] किन–किन किसानों को कितनी–कितनी [illegible] दिये हुए है. [illegible] का नाम एवं उनसे संबंधित टी.[illegible] कृषि भूमि के क्षेत्रफ[illegible] सूचना उपलब्ध करावें। खसरा नम्बर 77/4 में टी.सी. कृषि भूमि हेतु कृषको को कृषि अधिकार दिये जाने से संबंधित दस्तावेजों, नोटशीटों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. गाव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार. (तहसील सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर) में श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि के नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। उक्त 2.277 है. भूमि के चारों कोनों की भौगोलिक स्थिति (latitude and longitude) के मान की सूचना उपलब्ध
करायें।

4 खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाघुराम जाति विश्नोई का खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि में से कितनी भूमि राजमार्ग हेतु अधिग्रहण की गई है. या की जानी है तथा अधिग्रहण के पश्चात श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई की राजमार्ग के दोनो ओर शेष बचने वाली भूमि के क्षेत्रफल की अलग–अलग सूचना उपलब्ध करावें एवं उक्त सूचना जिन दस्तावेजों के आधार पर तैयार की जाये उन दस्तावेजों की सत्यापित फोटोप्रतियां उपलब्ध करायें। (संलग्न भूमि का google map)

5. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाघुराम जाति विश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि मे से राजमार्ग हेतु अधिग्रहण की गई है या की जाने वाली भूमि हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति विश्नोई को जारी किये गये नोटिसो की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें एवं उक्त नोटिस श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को प्राप्त हुए या नहीं इसकी सूनिश्चितता किस प्रकार की गई. से संबंधित सूचना एवं दस्तावेजो की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायें. यदि नोटिस by hand दिये गये हो तो प्राप्ति से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें।

6. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजनार्ग हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति विश्नोई के खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हेक्टेयर भूमि मे से राजमार्ग का गुजरना प्रस्तावित है। उक्त राजमार्ग हेतु क्या भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है [illegible] तो अधिग्रहण हेतु संबंधित खातेदार [illegible] संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायें। उक्त अधिग्रहण की जाने वाली भूमि हेतु मुआवजा राशि की गणना किस प्रकार की गई या की जानी है, गणना किये जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

संबंधित दस्तावेजो/नोटशीटों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। उक्त मुआवजा राशि किस कार्यालय से प्राप्त की जानी है. सूचना उपलब्ध करावे ।

7 गांव टेदार, पटवार हल्का ठेठार, (तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर) में श्री हेतराम पुत्र श्री बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टर भूमि के घग्घर घेरे के नजदीकतम बिन्दु से घग्घर की सीमा/पेटे/घेरे की सीमा एवं दूरी को दर्शाते हुए नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि एवं सूचना उपलब्ध करावें।

8. गांव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार (तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर) के खसरा नम्बर 77/4 में गत 5 वर्षों में किसी को भूमि आवंटित की गई हो तो आवंटित भूमि एवं आवंटी का विवरण उपलब्ध करावें।

9. खसरा नम्बर 77/4 के नजदीक भौगोलिक 29°16'10.9"N] 74°11'02.1"E (29.269683, 74.183902) (location institude and longitude by google map)से घग्घर घेरे/सीमा की न्यूनतम सीधी दूरी एवं उस बिन्दु का भौगोलिक मान (latitude and longitude by google map) की सूचना उपलब्ध करावें।

10. खसरा नम्बर 77/4 के नजदीक भौगौलिक 29°16'10.9"N] 74°11'02.1E (29.269683, 74.183902)(Location by google map) से घग्घर घेरे/सीमा में किसी को भूमि आवंटित की गई हो, तो संबंधित का नाम एवं आवंटित भूमि के क्षेत्रफल से संबंधित सूचना उपलब्ध करावें।

11. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु खसरा नम्बर 77/4 में की गई या की जाने वाली भूमि अधिग्रहण (acquisition) से संबंधित पत्रावली की नोटशीट की सत्यापित फोटो प्रतियां उपलब्ध कराये।

12 भौगोलिक मान (location in latitude and longitude by google map) के निम्नानुसार A,B,C एवं D बिन्दुओं से घिरी हुई सम्पूर्ण कृषि भूमि/भूमि के खातेदारों, टी.सी. अधिकार धारियों का नाम, पिता का नाम, पता उनके अधिकार में स्थित कृषि भूमि/भूमि के क्षेत्रफल की सूचना [illegible] करायें:–

A [29°16'23.5"N, 74°11'08.2"E (2[illegible]732[illegible]74.185614)]
B [29^{0}16'23.6"N, 74[illegible]04.6[illegible](29.27[illegible]74.18[illegible]8)]
C [29^{0}16'05.5"N, 74[illegible]04.3"E (29.26[illegible]8, 74.184517]
D [29^{0}16'06.7" N, 74[illegible]11'08.8"E (29.26[illegible]14, 74.185767)]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस कार्यालय के पत्रांक 1392/29.11.2021 एवं स्मरण पत्र 813/22.06.2023 एवं 1484 दिनांक 09.10.2023 से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है अथवा नहीं? जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं?, का पता नहीं चलता है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और तहसीलदार**(राजस्व), सूरतगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति** तहसीलदार**(राजस्व), सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested